— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 महेन्द्र के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा गौराऊ का खसरा नम्बर 105/834 रकबा 6.4992 हैक्टेयर में से रकबा 3.2496 हैक्टेयर पश्चिमि भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराऊ का खसरा नम्बर 50 रकबा 0.4775 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 1.7887 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 589 रकबा 0.0728 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमाशः कंवरी देवी, चुकी देवी एवं सीताराम के सह हक बंट सह कब्जे काश्त में मौजा गौराऊ का खसरा नम्बर 105/834 रकबा 6.4992 हैक्टेयर में से रकबा 3.2496 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सह खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 से 11 क्रमाशः हीराराम, रूकमा, जसोदा, अनिता, सोना, कलावती, माया एवं मंजु के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राज़स्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।
6. माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 22.2.22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner